{2021}2 एस.सी.आर.293

राजेंद्र/राजप्पा एवं अन्य

विरूद्ध

कर्नाटक राज्य

(2011 की आपराधिक अपील संख्या 1438)

26 मार्च 2021

{संजय किशन कौल एवं आर.सुभाष रेड्डी, न्यायाधीशगण }

दंड संहिता , 1860- धारा 302 सहपठित धारा 149-सशस्त्र हमले के परिणामस्वरूप हत्या-जब मृतक अपनी पत्नी (अ.सा.01) और बढ़े भाई (अ.सा.02) के साथ काम पर से वापस आ रहा था तब उस पर कुल्हाड़ी, छड़ी, गैती और पत्थर से हमला किया गया था - 6 अभियुक्त - ए-1 की मृत्यु हो गई - विचारण न्यायालय में ए-2 लगायत ए-6 को दोषमुक्त किया- उच्च न्यायालय में ए-2 लगायत ए-6 की दोषमुक्ति के फैसले को पलट दिया और उन्हें धारा 302 सहपठित धारा 149 के तहत दोषसिद्ध किया, तथापि , ए-6 की दोषमुक्त की पुष्टि की - ए-2 लगायत ए-5 (अपीलार्थीगण) द्वारा अपील किये जाने पर , अभिनिर्धारित ; विचारण न्यायालय ने मात्र इस बात को आधार मानकर कि वह मृतक के रिश्तेदार थे अ.सा. 1 लगायत अ.सा. 3 की साक्ष्य पर विश्वास न करके गलती की, इस बात का ध्यान न रखते हुए कि अ.सा01 ए-1 की पुत्री और अ.सा. 3 ए-1 की पत्नी थी- अ.सा. 3 के पास अपने पति के विरूद्ध इतने गंभीर आरोप लगाये जाने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं था। - अ.सा.1 लगायत 3 की साक्ष्य को, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं अ.सा. 10 एवं 14 की चिकित्सीय साक्ष्य के आलोक में विचार किये जाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी साक्ष्य प्राकृतिक, विश्वसनीय एवं स्वीकार योग्य थी- जैसा कि परिवाद में कहा गया है कि - शव परीक्षण रिपोर्ट में पाई गई चोटें ए2 लगायत ए5 के प्रकट कृत्य का परिणाम थी- अ.सा.14 का उस अंश का विराधाभासी कथन , अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य को नकारने हेतु सार्थक नहीं है- जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण किसी भी दृष्टि से संभव दृष्टिकोण नहीं था और उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से भिन्न था, उच्च न्यायालय ने ए2 लगायत ए5 की दोषसिद्धि कर विचारण न्यायालय के निर्णय को पलट कर सही किया- अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में यह स्पष्ट है कि हमला आशयित था जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु कारित हुई थी और यह कि ए2 लगायत ए5 का सामान्य उद्देश्य था, इस प्रकार उच्च न्यायालय ने उन्हें धारा 302/149 भा.दं.सं. आदि के तहत उचित रूप से दोषी ठहराया।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा 378-विस्तार-

विचारण न्यायालय द्वारा कि गई दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील- अभिनिर्धारित; जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण न हो, सामान्यतः उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति के संबंध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

साक्ष्य - गवाह की विश्वसनीयता - अभिनिर्धारित - केवल तात्विक विशिष्टियों में विरोधाभास होने से न कि मामूली विरोधाभास होने से किसी साक्षी की साक्ष्य को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया ; 1 . विभिन्न आधिकारिक घोषणाएं, इस न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 378 के तहत अपील के विस्तार को उन मामलों में सीमित किया है, जहां विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील की जाती है। इसके अतिरिक्त यह एक सुस्थापित प्रतिव्यक्ति है कि जबतक कि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संभावित दृष्टिकोण नहीं है, सामान्यतः उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि के संबंध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । विचारण न्यायालय द्वारा किसी मामले में की गई दोषमुक्ति पर से सीधे अपील किये जाने के संबंध में कोई सीधा सूत्र नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है या नहीं ; विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष साक्ष्य के अनुरूप है या नहीं ; ऐसे विषय हैं जो प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों एवं साक्ष्य पर निर्भर करते हैं। अभिलेख पर साक्ष्य की पुनः सहारना करके यदि अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष गलत और कानून के विपरीत है तो हस्तक्षेप करने के सही और सम्मोहक कारण देते हुए अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के निर्णय को दोषसिद्धि में परिवर्तित कर सकता है। {पैरा 10}{303-जी-एच; 304-ए-सी}

2. इस मामले में, मृतक ; अ.सा.1 लगायत 3 ; और अभियुक्त एकदूसरे से भलीभांति परिचित थे । विचारण न्यायालय ने मात्र इस आधार पर अ.सा. 1 लगायत 3 की साक्ष्य पर अविश्वास किया था कि वह मृतक के रिश्तेदार थे, इस तथ्य का ध्यान न रखते हुए कि अ.सा.1 ए1 की पुत्री और अ.सा.3 ए1 की पत्नी थी। यह कि प्रदर्श पी 01 में अ.सा.1 ने स्वयं यह व्यक्त किया है कि एक ओर उसके मृतक पति और उसके भाई अ.सा.2 के मध्य विवाद था और दूसरी ओर उसके पिता ए1 और उनके भाईयों के मध्य ताड़ी के पेड़ों का दोहन का साझाकरण किये जाने को लेकर विवाद था। इसके अतिरिक्त अ.सा.1 जो घटना के वक्त मृतक के साथ थी , ने अपनी साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि सुबह के लगभग 6 बजे वह अपने पति और अ.सा.2 के साथ कूली के काम में शामिल होने गई थी और जब वह अपने घर वापस लोट रहे

थे तो सुबह के लगभग 11:30 बजे होस्टल के पास हमला हुआ था। यह लगभग स्वाभाविक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी कार्य पर जाना होता है और सुबह के 11- 11:30 के मध्य घर वापस आकर भोजन किया जाता है। उसने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया है कि ए1(जो अब मृत हो चुका है) ने मृतक के बाएं गाल पर कुल्हाड़ी से मारा था और ए3 ने मृतक को बेदागा(एक तेज धार वाले कृषि उपकरण) से मारा था, ए4 ने मृतक के सिर पर डंडे से हमला किया था और ए5 ने भी मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। यदि अ.सा.1 की साक्ष्य को बारिकी से समझा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त साक्ष्य उसके द्वारा अपने परिवाद में लगाये गए आरोप प्रदर्श पी 01 के अनुरूप हैं।

3. प्रदर्श पी06 वह शव परीक्षण रिपोर्ट है जिसमें मृतक के शव पर पाई गई बाहरी चोटों का उल्लेख है। यदि अ.सा. 1 द्वारा की गई शिकायत और उसकी साक्ष्य को शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 में पाई गई चोटों के साथ विचार किया जाए तो - यह स्पष्ट हो जाता है कि शव परीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित चोटें अभियुक्त क्रमांक 2 लगायत 5 के प्रकट कृत्य का परिणाम था, जैसा कि शिकायत में लिखा हुआ है। यह कि अ.सा.1 ने अपनी साक्ष्य में कोई सुधार, लोप या विरोधाभासी कथन नहीं किये हैं, जहां तक कि वह घटना के विवरण से संबंधित है, जैसा कि प्रदर्श पी 01 की शिकायत में उक्त घटना को किये जाने की रिति में लिखा हुआ है और जैसा कि उसने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित किया है। चूंकि अ.सा.1 एक देहाती ग्रामीण है और जब कथित चोटों के संबंध में उसका परीक्षण अ.सा.14 (डॉक्टर) द्वारा किया गया था तब अभियोजन कथा की जड़ तक नहीं जाया जा सकता था और यह भी और यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि उसे कथित दिनांक को ही चोटें कारित हुई थी और उसका परीक्षण अ.सा.14 द्वारा किया गया था। अ.सा.2 की साक्ष्य इस प्रकार सत्य एवं विश्वसनीय योग्य प्रतीत होती है। यह कि अ.सा.2 , मृतक के बढ़े भाई ने भी अपनी साक्ष्य में घटना का वृतांत उसी प्रकार बताया है जैसा कि अ.सा. 1 ने बताया था । यह कि अ.सा.2 भी इस घटना में आहत साक्षी है और अ.सा.10(चिकित्सक) ने उसे कारित चोटों का परीक्षण किया है। प्रदर्श पी 04 अ.सा.2 को कारित चोटों के संबंध में घाव प्रमाण पत्र है जिसे अ.सा.10 जिला अस्पताल के वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा जारी किया गया है। उक्त घाव प्रमाण पत्र की विषय वस्तु और अ.सा. 2 की मौखिक साक्ष्य के आलोक में यह स्थापित होता है कि आहत अ.सा.2 को उसकी पत्नी द्वारा उस पर पूर्व से ए1 और अन्य द्वारा किये गए हमले के परिणामस्वरूप उसी दिन अस्पताल लाया गया था। अ.सा. 3 ओर कोई नहीं है बल्कि ए1 की पत्नी है जिसकी मृत्यु विचारण के लंबित रहते दौरान हुई थी जो कि अ.सा.1 की माता है। यह कि अ.सा.3 द्वारा अपने ही पति के विरूद्ध इतने गंभीर आरोप लगाये जाने का लेशमात्र भी कोई कारण विद्यमान नहीं है। यदि अ.सा.1 लगायत 3 की साक्ष्य को अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य और अ.सा10 व 14 की चिकित्सक

साक्ष्य के आलोक में विचार किया जाए तो यह कांच की तरह साफ है कि उनकी साक्ष्य प्राकृतिक , विश्वसनीय और स्वीकार किये जाने योग्य है।

4. यद्यपि अ.सा. 1 लगायत 3 की साक्ष्य सुसंगत, विश्वसनीय और भरोसेमंद है । विचारण न्यायालय ने केवल मामूली विरोधाभास के आधार पर संपूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय माना है। वह निष्कर्ष जो कि विचारण न्यायालय ने दोषमुक्ति के लिए अभिलिखित किये हैं वहां अभिलेख पर साक्ष्य और अ.सा.1 लगायत 3 की अभिसाक्ष्य से पूर्णतः विपरीत है। फलतः वह निष्कर्ष , विकृत और गलत होने से, अपीलीय न्यायालय के लिए हमेश खुला हुआ है कि वह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करते हुए उक्त निष्कर्ष को पलट सके।

5. अब जहां तक संबंध प्रदर्श पी 06 के तहत प्रविष्टियो के संबंध में अ.सा.14 के बयान के विरोधाभासी हिस्से से है तो उक्त प्रदर्श पी 06 की प्रविष्टियों में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि पेट में अपचित भोजन पाया गया था , यह ध्यान देने योग्य है कि प्रदर्श पी 06 को पढ़े जाने से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि मृतक की आंत मल पदार्थ से भरी हुई थी इसलिए उसकी मृत्यु शव परीक्षण से लगभग 3 से 12 घंटे के भीतर हुई थी, जो अभियोजन कथा का समर्थन करती है। मामले के उस दृष्टिकोण में अ.सा.14 के बयान के विरोधाभासी हिस्से को खारिज करने की आवश्यकता है और अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य को खारिज करने का औचित्य नहीं है।

6. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए , चूंकि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संभावित दृष्टिकोण नहीं था और उनके द्वारा दिये गए निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से विपरीत थे, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को पलट कर अपीलार्थीगण ए2 लगायत ए5 को दोषसिद्ध करके सही किया। अपीलार्थीगण का अग्रेतर यह तर्क है कि किसी मामले में जहां भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत की गई दोषसिद्धि को परिवर्तित करके संहिता की धारा 304-II के तहत दोषसिद्धि की जाती है , इसकी कोई योग्यता नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में यह स्पष्ट है कि हमला आशयत था जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई थी और सभी अभियुक्तगण- ए2 लगायत ए5 - का सामान्य उद्देश्य था, इस प्रकार उच्च न्यायालय ने अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 इत्यादि के तहत सही ढंग से दोषी ठहराया है।

नारायण चेतनराम चैधरी एवं अन्य विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य (2000) 8 एस.सी.सी. 457 :(2000) 3 पूरक। एस.सी.आर.104-निर्भर

शिवाजी साहबराव बोबडे एवं अन्य विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य (1973) 2 एस.सी.सी 793 :(1974) 1 एस.सी.आर 489;
कन्हैयालाल एवं अन्य आदि विरूद्ध राजस्थान राज्य आदि (2013) 5 एस.सी.सी 655 (2013)6 एस.सी.आर. 361; वी.एन.रथीश विरूद्ध केरल राज्य (2006) 10 एस.सी.सी. 617; {2006} 3 पूरक एस.सी.आर. 314; एवं मोती और अन्य विरूद्ध यू.पी.राज्य (2003) 9 एस.सी.सी 444- संदर्भित मामला

केस कानून संदर्भ

(1974) 1 एस.सी.आर. 489 पैरा 7 संदर्भित किया गया
(2013) 6 एस.सी.आर 361 पैरा 7 संदर्भित किया गया
(2006) 3 पूरक एस.सी.आर. 314 पैरा 7 संदर्भित किया गया है
(2003) 9 एस.सी.सी. 444 पैरा 7 संदर्भित किया गया है
(2000) 3 पूरक एस.सी.आर 104 उस पर भरोसा करें पैरा 11

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील नंबर 2011 का सं. 1438
उच्च न्यायालय कर्नाटक सर्किट बेंच गुलबरगा के निर्णय और आदेश दिनांकित
22.02.2011 से आपराधिक अपील संख्या 1812/2005 सुश्री किरण सुरी वरिष्ठ अधिवक्ता एस.जे. अमित सुश्री एश्वर्या के.कृष्णा कुमार डॉ. श्रीमति विपिन गुप्ता अपीलार्थियों के शुभ्रांशु पाधी , आशीष यादव, रक्षित जैन,
उत्तरदाता के लिए बार अधिवक्ता विशाल
न्यायालय का निर्णय **आर. सुभाष रेड्डी,** न्यायाधीश द्वारा घोषित किया गया था -01. यह क्रिमिनल अपील अभियुक्त क्रमांक 2 लगायत 5 द्वारा उच्च न्यायालय कर्नाटक(सर्किट बेंच गुलबर्गा) द्वारा घोषित निर्णय एवं दोषसिद्धि के आदेश एवं सजा दिनांकित 22.02.2011 क्रिमिनल अपील नंबर 1812/2005 से व्यथित होकर सत्र प्रकरण क्रमांक 162/23 फास्ट ट्रेक न्यायालय IV गुलबर्गा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

2. सत्र मामला क्रमांक 162/2003 ऐसा मामला है जो कि कर्नाटक के शाहबाद पुलिस स्टेशन द्वारा अपीलार्थी - अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 148, 324, 326, 307, 302 सहपठित धारा 149 के तहत अभियोजित किया गया है। उक्त अपराधों के लिए उन पर गुलबर्गा में फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाया गया था और निर्णय दिनांक 20.06.2005 को अपीलार्थीगण/अभियुक्त क्रमांक 2 लगायत 5 अभियुक्त क्रमांक 6 को उनके

विरूद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया गया था। चूंकि प्रकरण के विचाराधीन रहते दौरान अभियुक्त क्रमांक 1 की मृत्यु हो गई थी अतः उसके खिलाफ मामला समाप्त घोषित किया गया था।

3. अपीलार्थीगण के दोषमुक्त होने से व्यथित होकर प्रत्यर्थी राज्य ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष 2005 की आपराधिक अपील संख्या 1812 दायर की थी । यह कि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश दिनांकित 22.09.2011 , अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया और अपीलार्थी /अभियुक्त क्रमांक 2 लगायत 5 को विभिन्न अपराधों में दोषसिद्ध किया और अभियुक्त क्रमांक 6(श्रीमति शांताबाई) को दोषमुक्त किया। समस्त अपीलार्थीगण को विभिन्न अपराधों के तहत निम्नानुसार दंडित किया गया:

(i) तीन माह का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक पर तीन हजार रूपये का जुर्माना । अर्थदंड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम होने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत एक माह का साधारण कारावास।

(ii) एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक पर चार हजार रूपये का जुर्माना । अर्थदंड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम होने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 148 सहपठित धारा 149 के तहत तीन माह का साधारण कारावास।

(iii) एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक पर पांच हजार रूपये का जुर्माना । अर्थदंड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम होने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 324 सहपठित धारा 149 के तहत चार माह का साधारण कारावास।

(iv) दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक पर छह हजार रूपये का जुर्माना । अर्थदंड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम होने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 326 सहपठित धारा 149 के तहत पांच माह का साधारण कारावास।

(v) आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर आठ हजार रूपये का जुर्माना । अर्थदंड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम होने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 309 सहपठित धारा 149 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास।

4. संक्षेप में, आवश्यक तथ्य और इस अपील को निपटाये जाने हेतु अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि -

- शिकायतकर्ता अ.सा.1 शेषम्मा , मृतक की पत्नी है। यह कि दिनांक 02.02.2003 को शिकायतकर्ता अपने पति के साथ सुबह कूली के काम पर गई थी और जब वह जलाई लकड़ी के बंडल और अ.सा.2 के साथ लोट रहे थे कि तभी सुबह के लगभग 11:30 बजे जब शिकायतकर्ता अपने पति के साथ सरकारी छात्रावास के पहुंची ,तभी अभियुक्त क्रमांक 1 लगायत 6 ने कुल्हाड़ी, छड़ी,गेती और पत्थरों से सुसज्जित हाकर मृतक पर हमला किया और इस तरह उन हथियारों से उस पर हमला करके मृतक को घातक रूप से घायल कर दिया। अग्रेतर यह

अभियोजित किया गया है कि शिकायतकर्ता ने अपने पति को बचाया और वह छात्रावास के पीछे चले गए, अभियुक्त ने उनका पीछा किया और ए1 ने मृतक के बाएं गाल पर कुल्हाड़ी से मारा , ए2 ने बेदागा से हमला किया , ए3 ने लकड़ी से हमला किया , ए4 ने डंडे से हमला किया और ए5 ने कुल्हाड़ी से हमला किया । ए1 शिकायतकर्ता का पिता है और ए2 व ए4 शिकायतकर्ता के चाचा है, ए3 और ए5 ए1 की बहन के पुत्र हैं और ए6 ए1 की एक बहन का पुत्र है। शिकायत में यह भी अभियोजित किया गया है कि सभी अभियुक्तगण ने मृतक पर हमला किया और उसे गालियां देना शुरू कर दिया था, यह कहकर कि अपने घरों के सामने से न जाने और अपना चहरा दिखाने के लिए कहने के बावजूद वह अभियुक्त की तरफ आ गए है। शिकायत में अग्रेतर यह भी कहा गया कि जब उसने और उसके पति ने भागने की कोशिश की और भागकर छात्रावास के पीछे छुप गए तो सभी अभियुक्तगण ने उनका पीछाकर उन पर हमला किया था। अग्रेतर यह भी व्यक्त किया गया है कि उसके पति को घोर उपहति कारित हुई थी और उसकी मृत्यु मौके पर ही हो गई थी और उक्त घटना को उसकी माता सायम्मा और उसकी बहन रथनम्मा , महेश और ग्रामवासी हाजी, हुसैन द्वारा भी देखा गया था। उसने अपनी शिकायत में अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की थी ।

- यह कि पुलिस द्वारा मामले का अनुसंधान किये जाने के पश्चात और संपूर्ण कार्यवाही किये जाने के पश्चात अभियोग पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रस्तुत किया था , जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है।
- यह कि फास्ट ट्रेक कोर्ट प्अ गुलबर्गा को प्रकरण उपार्पित किये जाने के पश्चात अभियुक्त क्रमांक 1 को मृत बताया गया था और प्रकरण उसके विरूद्ध समाप्त कर दिया गया था। अभियुक्तगण को सुनने के पश्चात अपीलार्थीगण के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 143, 147, 148, 324, 326, 302, 307 सहपठित धारा 149 के तहत आरोक पत्र विरचित किया गया था। अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था और विचारण का दावा किया ।

- अभियोजन ने अपने मामले को सिद्ध करने बाबत् 22 साक्षियों अर्थात् अ.सा.1 लगायत अ.सा.22 को परिक्षित कराया एवं 15 दस्तावेजों को प्रदर्शन के रूप में चिंहित किया अर्थात् प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 15 एवं भौतिक वस्तुएं एम.ओ. 1 लगायत 13 को चिंहित किया। बचाव में किसी भी साक्षी को परिक्षित नहीं कराया गया परंतु 10 दस्तावेजों को अर्थात् डी1 लगायत डी10 को चिंहित किया गया ।

5. अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन किये जाने पर विचारण न्यायालय में अभियुक्तगण को निम्नलिखित टिप्पणियों के आलोक में सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया;

- मृतक की मृत्यु मस्तिष्क में रक्तस्त्राव के कारण उसके सिर पर अधिक मात्रा में चोटें लगने के कारण हुई थी।
- साक्ष्य अनुसार मृतक अपने शव परीक्षण के 6-8 घंटे के पूर्व मृत हो गया था।
- अ.सा. 1 लगायत 5 जो कि मृतक के सगे संबंधी थे , घटना से पहले एक दूसरे के साथ शत्रुतापूर्ण थे इसलिए उनकी साक्ष्य पर बहुत सावधानी से विचार किया जाना चाहिए ।
- यह कि इस मामले का एकमात्र स्वतंत्र साक्षी अ.सा. 6 का नाम शिकायत में उल्लेखित नहीं था।
- यह स्पष्ट नहीं है कि किस समय चोटें कारित हुई या घटना कब कारित हुई थी।
- चोटों की प्रकृति और उसका विवरण एक दूसरे से सुसंगत नहीं है।
- मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य में अलग अलग संस्करण हैं और वह एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते है।
- घटना के प्रमुख साक्षियों को परिक्षित नहीं कराया गया ।
- अपराध के लिए उपयोग किये गए हथियारों का उल्लेख शिकायत में नहीं किया गया है।
- अ.सा.1 की साक्ष्य में विसंगतियां हैं और उसने पहले के सत्र मामले के तथ्य के बारे में खुलासा नहीं किया है जो कि उसके पति अ.सा. 2 और उसके पिता के खिलाफ चल रहा था।

6. राज्य की अपील पर उच्च न्यायालय ने अभियुक्त क्रमांक 6 को दोषी ठहराते समय अभियुक्त क्रमांक 2 लगायत 5 को अपने निर्णय व आदेश द्वारा दोषी ठहराया । उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा कि अ.सा.1 एक सच्चा गवाह है और उसकी गवाही सुसंगत होकर अभियोजन कथा का समर्थन करती है। उच्च न्यायालय ने अ.सा. 1 व 2 जो कि आहत साक्षीगण थे उनकी मौखिक साक्ष्य पर विश्वास किया । उच्च न्यायालय ने कहा कि अ.सा. 1 कोई ओर नहीं बल्कि अभियुक्त क्रमांक 1 की पुत्री है और अ.सा.3 श्रीमति सायम्मा कोई ओर नहीं बल्कि अभियुक्त क्रमांक 1 देवेंद्रप्पा की पत्नी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घटना के बारे में बयान दिये हैं और अ.सा. 1 लगायत 3 की घटना कारित होने के संबंध में सुसंगत साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए जो कि उसी प्रकार बताई गई है जैसा कि शिकायत प्रदर्श पी 1 में लेखबद्ध है- उच्च न्यायालय ने यह पाया है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण के खिलाफ लगे हुए आरोपों के संबंध में उनकी साक्ष्य पर अविश्वास करके गंभीर भूल की है। उच्च न्यायालय ने चिकित्सक साक्षी अ.सा.14 की साक्ष्य पर भी विचार किया और कहा कि अभियुक्त द्वारा मृतक पर हमला करने के परिणामस्वरूप मौके पर उसकी मृत्यु होने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है। आगे यह भी कि साक्ष्य को सूक्ष्मतापूर्वक देखे जाने पर मृतक की मृत्यु कारित करने का उद्देश्य थोड़ा कम महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि अ.सा.1

लगायत 3 की साक्ष्य पर विचार किये जाने पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि पक्षकारों के मध्य ताड़ी के पेड़ों का दोहन किये जाने के संबंध में विवाद चल रहा था इसलिए अभियुक्तगण मृतक के प्रति दुर्भावना रखते थे। यह कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को उचित तरीके से मूल्यांकित नहीं किया है, उच्च न्यायालय ने यह पाया है कि अभियोजन ने अभियुक्त क्रमांक 2 लगायत 5 के विरूद्ध मामले को साबित किया है और वह मृतक की मृत्यु कारित करने हेतु दोषी है और अ.सा. 1 व 2 को उपहति कारित करने हेतु दोषी हैं। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि सभी अभियुक्त क्रमांक 2 लगायत 5 ने मृतक की मृत्यु का कारण बनने का सामान्य उद्देश्य साझा किया है इसलिऐ सभी अभियुक्तगण कथित अपराधों के लिए दोषी ठहराये जाने के लिए उत्तरदायी है।

7. इस अपील में अभियुक्तगणों /अपीलार्थीगण की ओर से पेरवी कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री किरण सुरी ने यह व्यक्त किया है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य पर विचार किये जाने के बाद और तात्विक विसंगतियों पर विचार किये जाने के पश्चात यह सही तौर पर अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं किया है। यह भी व्यक्त किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संभावित दृष्टिकोण था। मामले के उस दृष्टिकोण में उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के सुविचारित निर्णय को पलटकर भूल की है। विद्वान अधिवक्ता ने **शिवाजी राव साहब एवं अन्य विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य**[1] के मामले में इस न्यायालय के इस फैसले पर भरोसा करते हुए यह व्यक्त किया है कि इस न्यायालय ने अपील के विस्तार पर विचार किया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के तहत दोषमुक्त किये जाने के विरूद्ध **कन्हैयालाल एवं अन्य विरूद्ध राजस्थान राज्य आदि**[2] के मामले में भी इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है जिसमें इस न्यायालय ने दं.प्रं.सं. की धारा 378 के तहत अपील के विस्तार पर विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तक पर्याप्त और सम्मोहक कारण नहीं हो, तब तक दोषमुक्ति फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। इसके अलावा एक अन्य मामले में अर्थात् **वी.एन.रथीश विरूद्ध केरल राज्य**[3] में इस न्यायालय के निर्णय को विचार में लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दोषमुक्ति के आदेश के संबंध में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अभियुक्त की निर्दोषता की उपधरणा को दोषमुक्त करने से और बल प्राप्त होता है। इसी प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के आलोक में विद्वान अभिभाषक ने यह व्यक्त किया है कि अ.सा.14 चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य और प्रदर्श पी 06 अर्थात् शव परीक्षण रिपोर्ट की विषयवस्तु अ.सा.1 की साक्ष्य से विसंगत थी और उक्त तात्विक विरोधाभास के कारण उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा अ.सा.14 की साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिनके द्वारा मृतक के शव का शव

परीक्षण किया गया था और प्रदर्श पी 06 शव परीक्षण रिपोर्ट में जहां यह खुलासा हुआ था कि पेट में भोजन के कणों जैसे अपचित चावल थे, जिसे यह माना गया था कि मृतक की मृत्यु उसके शव परीक्षण से लगभग 18 घंटे पहले हुई होगी, अभियोजन पक्ष के मामले को पूर्ण रूप से गलत साबित करता है कि दिनांक 02.02.2003 को सुबह के 11:30 बजे मृतक की मृत्यु अभियुक्तगण द्वारा हमला किये जाने के कारण हुई थी। उक्त निवेदन को पुष्ट करने के लिए विद्वान अधिवक्ता ने मोती एवं अन्य विरूद्ध यू0पी0राज्य4 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है और अंत में यह भी व्यक्त किया है कि किसी भी स्थिति में यह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि का मामला नहीं है क्योंकि उक्त मामले में मृतक को मारने का कोई आशय नहीं था और यदि मामले के गुण दोष के आधार पर उसकी दलीले स्वीकार नहीं की जाती हैं तो उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-II के तहत दोषसिद्धि को संशोधित करने का अनुरोध किया था।

8. दूसरी ओर, कर्नाटक राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमें विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त किये गए निष्कर्षों से अवगत कराकर यह व्यक्त किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के संबंध में प्राप्त निष्कर्ष पूर्ण रूप से विकृत और गलत है। अपीलीय न्यायालय के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वह साक्ष्य को पुनः मूल्यांकित कर फैसले को पलट सके। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया है कि यद्यपि अ.सा.1 लगायत 3 देहाती ग्रामीण है और घटना दिनांक से इतनी अधिक लंबी समयावधि के पश्चात मामूली विसंगतियां होती हैं और यह किसी की साक्ष्य को नकारे जाने का आधार नहीं माना जा सकता है। यह भी प्रस्तुत है कि अ.सा.1 लगायत 3 की साक्ष्य विश्वसनीय और प्राकृतिक है। इसके बावजूद साक्ष्य का विपरीत अर्थ निकाला जाकर विचारण न्यायालय ने मात्र इस आधार पर कि सभी साक्षीगण हितबध साक्षी होकर संबंधित थे , उनकी साक्ष्य को तुल नहीं दिया । यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि अ.सा.1 लगायत 3 अभियुक्त से संबंधित थे और मात्र संबंधित होने के कारण उनकी साक्ष्य को नकारे जाने का आधार नहीं मानना चाहिए था। उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित विभिन्न निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के समर्थन में अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप है क्योंकि इन्हें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अंततः यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है तो इसे ध्यान में रखते हुए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में यह अपीलीय न्यायालय के लिए खुला नहीं है कि , जब तक कि हस्तक्षेप के लिए बाध्यकारी और मजबूत आधार नही बनाये गए हैं , लेकिन साथ ही जब विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त किये गए निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप नहीं है , विकृत और गलत है तो उच्च न्यायालय इसे उलटने के लिए हमेशा खुला हुआ है। यह भी

प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या करने के लिए साझा किये गए सामान्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 इत्यादि के तहत की गई दोषसिद्धि के संबंध में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

9. अपीलार्थियों के विद्वान वकील **शिवाजी साहब राव बोबडे**[1] के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा , इस मामले में न्यायालय ने दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील के विस्तार को विचार में लिया और यह अभिनिर्धारित किया कि आपराधिक मामलों में साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए , जहां तक ग्रामीण गवाहों की साक्ष्य की प्रकृति का संबंध हो, न्यायालय उनकी साक्ष्य को शहरी गवाहों के समान सटिकता और स्थिरता के मानक पर न्याय नहीं करेंगे । **वी.एन. रथीश**[3] के मामले में इस न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील किये जाने के संबंध में अपीलीय न्यायालयों की शक्तियों पर विचार किया गया है। इसी प्रकार **कन्हैयालाल**[2] के मामले में इस न्यायालय ने कहा है कि दोषमुक्ति के विरूद्ध अपीलों पर विचार करते समय जब तक कि पर्याप्त व सम्मोहक कारण और अच्छे व पर्याप्त आधार और मजबूत परिस्थितियां न हो तब तक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

10. यह सत्य है कि विभिन्न आधिकारिक घोषणाओं में इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत अपील के दायरे को सीमित कर दिया है और उन मामलों में जहां विचारण न्यायालय की दोषमुक्ति पर से अपील की जाती है।

इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि जब तक विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण नहीं है उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति से उत्पन्न होने वाली अपीलों के मामलों में आसानी से लागू करने के लिए कोई सीधा सूत्र नहीं हो सकता है। चाहे वह विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है या नहीं, चाहे विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष साक्ष्य के अनुरूप है या नहीं वह मामले हैं जो प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों व अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर निर्भर करते हैं। अभिलेख पर साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करके यदि अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष गलत और कानून के विपरीत है, यह हस्तक्षेप के लिए अच्छे और सम्मोहक कारणों को दर्ज करके और दोषसिद्धि के निर्णय में परिवर्तित करके दोषमुक्ति के निर्णय को पलटकर अपीलीय न्यायालय के लिए हमेशा खुला रहता है।

11. इस मामले में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मृतक , अ.सा. 1 लगायत 3 और अभियुक्त निकट संबंधी थे । विचारण न्यायालय ने अ.सा.1 लगायत 3 की साक्ष्य को मात्र इस आधार पर अविश्वसनीय पाया कि वह मृतक के रिश्तेदार थे , इस तथ्य को भूलते हुए कि अ.सा.1 श्रीमति शेषम्मा अभियुक्त क्रमांक 1 की पुत्री और अ.सा. 3 अभियुक्त क्रमांक 1 की

पत्नी थी। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में यह भी स्पष्ट है कि वह देहाती ग्रामीण है और घटना तब हुई थी जब वे कूली के काम में हिस्सा लेकर अपने घर वापल लौट रहे थे। यह कि प्रदर्श पी 01 में अ.सा.1 ने स्वयं यह व्यक्त किया है कि उसके मृतक पति और बढ़े भाई हुसानईया अ.सा.2 के मध्य विवाद था और वहीं उसके पिता अभियुक्त क्रमांक 1 और उनके भाईयों के मध्य ताड़ी के पेड़ों की साझादारी को लेकर विवाद चल रहा था। उक्त विवाद के परिणामस्वरूप उसके वरिष्ठ और कनिष्ठ चाचा उससे कह रहे थे कि अपने घर के किनारे नहीं आना चाहिए इसके अलावा अ.सा.1 श्रीमति शेषम्मा जो घटना के समय मृतक के साथ थी, ने अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि सुबह लगभग 6 बजे वह अपने पति और अ.सा. 2 के साथ कूली का काम करने गई थी और काम करके जब घर वापस लौट रहे थे तब लगभग 11:30 बजे छात्रावास के पास हमला हुआ । यह बहुत स्वभाविक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुरूआती घंटों में काम पर जाना और 11-11:30 बजे के आसपास भोजन करने के लिए अपने घर पर आना होता है उसने अपने साक्ष्य में यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ए1 देवेंद्रप्पा(जो कि मृत हो चुका है) ने मृतक के बाएं गाल पर कुल्हाड़ी से मारा था, ए3 दतय्या ने मृतक के सिर पर बेदागा से हमला किया था , ए4 मणिक ने डंडे से मृतक के सिर पर हमला किया था और ए5 बसय्या ने मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। अब यदि अ.सा.1 की साक्ष्य को निकटता से पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा व्यक्त किये कथन शिकायत प्रदर्श पी 01 मे लिखे गए कथनों के अनुरूप है। प्रदर्श पी 06 वह जो शव परीक्षण रिपोर्ट है जिसमें मृतक के शव पर बाहरी चोटों का उल्लेख किया गया है। अब यदि अ.सा.1 द्वारा की गई शिकायत और उसकी साक्ष्य को प्रदर्श पी 06 की शव परीक्षण रिपोर्ट में पायी गई उपहति के आलोक में ध्यान दिया जाये तो यह स्पष्ट होता है कि शव परीक्षण रिपोर्ट में बताई गई समस्त चोटें अभियुक्त क्रमाक 2 लगायत 5 के प्रकट कृत्य के कारण कारित हुई थी। यह कि अ.सा.1 ने अपनी साक्ष्य में कोई सुधार, लोप या विरोधाभासी कथन नहीं किये हैं, जहां तक कि वह घटना के विवरण से संबंधित है, जैसा कि प्रदर्श पी 01 की शिकायत में उक्त घटना को किये जाने की रिति में लिखा हुआ है और जैसा कि उसने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित किया है। चूंकि अ.सा.1 एक देहाती ग्रामीण है और जब कथित चोटों के संबंध में उसका परीक्षण अ.सा.14 (डॉक्टर) द्वारा किया गया था तब अभियोजन कथा की जड़ तक नहीं जाया जा सकता था और यह भी और यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि उसे कथित दिनांक को ही चोटें कारित हुई थी और उसका परीक्षण अ.सा.14 द्वारा किया गया था। अ.सा.2 की साक्ष्य इस प्रकार सत्य एवं विश्वसनीय योग्य प्रतीत होती है। यह कि अ.सा.2, मृतक के बढ़े भाई ने भी अपनी साक्ष्य में घटना का वृतांत उसी प्रकार बताया है जैसा कि अ.सा.1 ने बताया था । यह कि अ.सा.2 भी इस घटना में आहत साक्षी है और अ.सा.10 (चिकित्सक) ने उसे कारित चोटों का परीक्षण किया है। प्रदर्श पी 04 अ.सा.2 को कारित चोटों के संबंध में घाव प्रमाण पत्र है जिसे अ.सा.10 जिला

अस्पताल के वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा जारी किया गया है। उक्त घाव प्रमाण पत्र की विषय वस्तु और अ.सा. 2 की मौखिक साक्ष्य के आलोक में यह स्थापित होता है कि आहत अ.सा.2 को उसकी पत्नी द्वारा उस पर पूर्व से ए1 और अन्य द्वारा किये गए हमले के परिणामस्वरूप उसी दिन अस्पताल लाया गया था। अ.सा. 3 ओर कोई नहीं है बल्कि ए1 की पत्नी है जिसकी मृत्यु विचारण के लंबित रहते दौरान हुई थी जो कि अ.सा.1 की माता है। यह कि अ.सा.3 द्वारा अपने ही पति के विरूद्ध इतने गंभीर आरोप लगाये जाने का लेशमात्र भी कोई कारण विद्यमान नहीं है। यदि अ.सा.1 लगायत 3 की साक्ष्य को अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य और अ.सा10 व 14 की चिकित्सक साक्ष्य के आलोक में विचार किया जाए तो यह कांच की तरह साफ है कि उनकी साक्ष्य प्राकृतिक , विश्वसनीय और स्वीकार किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने उनकी साक्ष्य पर कुछ मामूली विरोधाभासी कथनों के आलोक में अविश्वास किया है। इस न्यायालय ने नारायण चेतनराम चैधरी एवं अन्य विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य5 में किसी आपराधिक मामले में साक्ष्य का मूल्यांकन करते दौरान साक्ष्य में मामूली विरोधाभास को विचार में लिया है। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल तात्विक विशिष्टियों में विरोधाभास होने से न कि मामूली विरोधाभास होने से किसी साक्षी की साक्ष्य को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है। निर्णय के पैरा क्रमांक 42 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है;

"42. केवल ऐसे लोग जो तात्विक विशिष्टियों में विरोधाभास है, का उपयोग साक्षियों की गवाही को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। पुलिस के बयान में लोग अपने आप में साक्षी की गवाही को अविश्वसनीय नहीं बता सकता है। जब न्यायालय में साक्षी द्वारा दिया गया बयान उसके पहले के बयानों में बताये गए तात्विक विशिष्टियों से अलत होता है तो अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है और अन्यथा नहीं । मामूली विरोधाभास साक्षियों के बयानों म होते ही हैं क्योंकि स्मृति कभी कभी झूठी होती है और अवलोकन की भावना व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है। यदि पहले के बयान में किया गया लोप तुच्छ विवरणों पर आधारित है जैसा कि वर्तमान मामले में पाया गया है, तो इससे अ.सा. 2 की साक्ष्य में कोई कमी आना संभावित नहीं है। चाहे फिर किसी साक्षी की साक्ष्य में किसी तात्विक बिंदु पर कोई विरोधाभासी कथन ही क्यों न हो। किसी भी भौतिक बिंदु पर गवाहों के बयान का विरोधाभास जो ऐसे गवाह की पूरी गवाही को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। ....."

यद्यपि अ.सा.1 लगायत 3 की साक्ष्य सुसंगत , विश्वसनीय और भरोसेमंद है विचारण न्यायालय ने केवल मामूली विरोधाभास को दृष्टिगत रखते हुए उनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया है । इस प्रकार हमारा विचार है कि किसी मामले में दोषमुक्त किये जाने के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त किये गए निष्कर्ष, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और अ.सा.1 लगायत 3 की साक्ष्य के विपरीत है। इस प्रकार ऐसे निष्कर्ष विकृत और त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपीलीय न्यायालय अभिलेख पर साक्ष्य को पुनः मूल्यंआकित कर ऐसे निष्कर्षों को उलटने के

लिए हमेशा खुली हुई है। जहां तक अ.सा.14 के बयान के विरोधाभासी का संबंध है तो प्रदर्श पी 06 के तहत प्रविष्टियों के संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया था, जिसमें यह पाया गया था कि पेट में अपचित भोजन पाया गया था यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रदर्श पी 06 में ही पता चलता है कि मृतक की आंत मल पदार्थ से भरी हुई थी इसलिए उसकी मृत्यु शव परीक्षण से 3 से 12 घंटे पहले हुई होगी जो अभियोजन मामले का समर्थन करती है। मामले के उस दृष्टिकोण अ.सा.14 के बयान के विरोधाभासी हिस्से को खारिज करने की आवश्यकता है और अभिलेख पर कुल साक्ष्य को त्यागना महत्वपूर्ण है। पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि अपीलार्थीयों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है वे उसके मामले के समर्थन में कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अर्थात् अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने के फैसले को उलटने में त्रुटि की है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण किसी भी तरह से एक संभावित दृष्टिकोण नहीं था और उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से विपरीत था। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए अपीलार्थी क्रमांक ए2 लगायत ए5 को दोषसिद्ध करके सही निर्णय लिया है। इसके अलावा हम अपीलार्थियों के उल्लेख में यह भी योग्यता नहीं पाते हैं कि किसी भी मामलें मे यह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि का मामला नहीं है और इसे संहिता की धारा 304.प्प् के तहत दोषसिद्धि में संशोधित किया गया । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक मे यह भी स्पष्ट है कि हमला आशयित था जिसके कारण मृतक की मृत्यु कारित हुई थी और समस्त अभियुक्तगण ए2 लगायत ए5 का -सामान्य उद्देश्य था, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 आदि के तहत उचित रूप से दोषी ठहराया है ।अतः हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं ।

12. उपरोक्त कारणों से हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिली , तद्अनुसार इसे खारिज कर दिया गया।

अपील खारिज

2(2013) 5 एस.सी.सी. 655

3(2006) 10 एस.सी.सी.617

4(2003) 9 एस.सी.सी. 444

5(2000) 8 एस.सी.सी.457

दिव्या मित्तल